प्ररूप –एक

(नियम 11 देखिय)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक/ 383 /भू–अर्जन/2023 दंतेवाड़ा दिनांक 21-2-2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का भू–अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशायित है,अर्थात

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	आंवराभाटा	0.062 हेक्ट0	रेल्वे लाईन दोहरीकरण निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 24.03.2023 को समय 11.00 बजे कार्यालय नगर पंचायत दंतेवाड़ा में नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार हैः–

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	रेल्वे दोहरीकरण
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या ।	04
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पतियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में भासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पतियों की अनुमानित संख्या ।	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हॉ
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	हॉ
(आठ)	परियोजना की कुल लागता।	2000 करोड़
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ।	सार्वजनिक आवागमन
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय।	1182491.00ग्यारह लाख ब्यासी हजार चार सौ इक्यानबे रूपये मात्र भू–अर्जन भाखा में जमा किया गया है।
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक ।	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी /सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(विनीत नंदनवार)
कलेक्टर
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
एवं पदेन उप सचिव,छत्तीसगढ़ भासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ०कमांक/ 384 /भू-अर्जन/2022 दंतेवाड़ा दिनांक 21-2-2023

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन,अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त बस्तर संभाग,जगदलपुर की ओर सूचनार्थ ।
3. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय,छत्तीसगढ़ राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग –01 में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी दंतेवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
5. मण्डल रेल प्रबंधक वालतेरू मंडल पूर्व तट रेलवे डी.आर.एम.ऑफिस कामप्लेक्स दोंडपर्ति विशाखापटनम को सूचनार्थ। इस अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों एवं छ0ग0 के राजपत्र में कराते हुए उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
6. डी.आई.ओ.(एन.आई.सी.) दंतेवाड़ा को सूचनार्थ। आप इस अधिसूचना को छ0ग0 शासन,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन प्रशासन विभाग एवं एवं जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की वेबसाइड पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. तहसीलदार दंतेवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । सामजिक समाघात अध्ययन दल के सदस्यों को इस अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस अधिसूचना का प्रकाशन अनुविभाग कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, नगर पंचायत कार्यालय,संबधित ग्राम पंचायत कार्यालय में कराया जाना सुनिश्चित करेंगें। तथा प्रकाशन पश्चात उसकी प्रति भू–अर्जन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में ऐसी रीति से जो विहित हो अथवा मुनादी कराया जा जाकर रिपोर्ट भू–अर्जन अधिकारी को दी जावे। यह भी आदेशित किया जाता है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की कंडिका (4) एवं कंडिका (5) के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करते हुये यथाविहित भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने की कार्यवाही समयसीमा में पूर्ण की जावें।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत दंतेवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद दंतेवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।इस अधिसूचना का प्रकाशन नगर पंचायत के सूचना पटल में कराना सुनिश्चित करें। आपको यह भी आदेशित किया जाता है कि भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 11 की कंडिका 4 के अनुसार "कोई व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में निविर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर को विल्लंगम सृजित नही करेगा " का पालन एवं सर्व संबंधित को मुनादी के माध्यम से सूचित कराया जाना सुनिश्चित करें।
10. अध्यक्ष,मुख्य नगरपालिका परिषद दंतेवाड़ा को ओर सूचनार्थ।
11. वार्ड पार्षद वार्ड कमांक –10 आवराभाटा नगरपालिका परिषद दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
12. सर्व संबंधित श्री/श्रीमति ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(विनीत नंदनवार)
कलेक्टर
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
एवं पदेन उप सचिव,छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग